

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI VAYALAR RAVI: There is a practice here. A Member has individual rights. I am not taking the party's time. If it were the party's time I would have been a disciplined party worker.

MR. CHAIRMAN: Mr. Hanumanthappa.

SHRI VAYALAR RAVI: Our party is united. There is no problem and don't worry about my party. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: I am sorry... (Interruptions)... I am not taking anything. I am taking you as my dear and respected friend. Mr. Hanumanthappa came to me. I told him that Mr. Ravi has sent him his notice and so first I must give him a chance. He said, "No, we will sort it out among ourselves."

That is what he told me. That is why I asked Mr. Pranab Mukherjee. Otherwise, I would have given you the chance first. His notice came first. So I must give him a chance first. He told me that we would settle among ourselves and that Mr. Punjab Mukherjee would speak.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): सर, आपके कमरे में बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में यह बात तय हुई थी कि न तो ज़ीरो आवर होगा, न स्पेशल मेशन होंगे। सीधे प्राइम मिनिस्टर का जवाब होगा and all parties agreed to it. अब इस बीच में और सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। हमने भी पहले तय किया हुआ है, If you allow everybody to say on that I do not think it will be... (Interruptions)...

श्री नरेश यादव (बिहार): यह एक राज्य सरकार का मामला है।... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल): सर, यह तो इम्पोर्टेंट बात है।... (व्यवधान)...

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI (Orissa): Sir, I would like to bring to the notice of the Prime Minister to enable him to clarify in his reply what has been reported in the Press very categorically. The Union Minister for Power, Shri P.R. Kumaramangalam on Wednesday said that the people of Tamil Nadu would

soon be released of DMK Government while berating it for introducing terrorism in the State. Also Mr. Ramamurthy had said that there was no guarantee about the survival of the DMK Government. Only when the Himachal question came, Sir, I congratulated this Government. They told the Governor to form the Government, not to exercise powers under article 356 or any article and we appreciate this stand which Vajpayeeji's Government has taken. He has assured that the Centre State relations would be smooth. In view of that, under doubtful circumstances the Cabinet Minister said, I am not disclosing because I am under an oath, about what is going on in the Government. It means that something is going on. Therefore, I would only like that the matter be referred to and clarified.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (CONTD.)

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति महोदय, लोक सभा के निर्वाचन के बाद जो संसद गठित हुई, उसे राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित करके अपने दायित्व का बड़ी गुरुता के साथ निर्वाह किया है। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपने धन्यवाद को एक प्रस्ताव के स्वरूप में प्रकट करना चाहते हैं। आम तौर पर जब इस तरह के भाषण होते हैं तो उनकी आलोचना में कहा जाता है कि वे गंधहीन हैं, रंगहीन हैं और स्वादहीन हैं।

लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है, वह तो कुछ दूसरी कहानी कहती है। माननीय सदस्यों के भाषण में रंग भी मिला है, गंध भी मिली है और चर्चा करने में उन्हें स्वाद भी आया है अन्यथा 47 सदस्य बड़ा परिश्रम कर के, लम्बी प्रतीक्षा कर के इस चर्चा में अपना योगदान न देते। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ। हम आलोचना से लाभ उठाते हैं। हम सर्वत्र होने का दावा नहीं करते। मेरे मामले में, हमारे कुछ मित्रों के मामले में 1977 के छोटे से अनुभव को ले कर शासन चलाने का कोई बड़ा लम्बा चौड़ा अनुभव नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की व्यवस्था है और प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आलोचना करने वाले को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगर वह दूर हो तो उसे निकट बैठाना चाहिये। यह कई कहावतों में प्रकट होता

है—निंदकासे घर सावे सेजारी-निंदा करने वाले के घर को पड़ोस में रखिये। यह हिन्दी की कहावत है—निंदक नियरे रखिये आंगन कुटी छवाए। साफ करने के लिए साबुन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, भाषण सुन-सुन कर तबियत साफ हो सकती है। लेकिन चर्चा भले ही गर्मागर्म हो मगर उसका — होना चाहिए। प्रतिपक्ष में रह कर हम व्यवहार करते रहे हैं। अब जो नये नये प्र. विराजमान हैं, उन्होंने भी कंस्ट्रिक्ट का वादा किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के इस आश्वासन का स्वागत करता हूँ। अगर लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव के समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएं न हो जाती तो उसे ले कर जो थोड़ी बहुत शिकायत हुई है, वह भी शिकायत नहीं होती।

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की ओर से डा० मनमोहन सिंह ने चर्चा का आरम्भ किया। वे अर्थ-शास्त्री हैं, श्रित मंत्री रह चुके हैं, अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के साथ वे अपनी उपयोगिता अपनी महत्ता सिद्ध कर चुके हैं। कल उन्होंने जो भाषण दिया, वह माननीय सदस्यों ने ध्यान से सुना होगा। एक अंश उसका उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता हूँ

I quote:—

"I started by saying that our party is committed to providing constructive cooperation in dealing with urgent national issues. Whether these are issues of economic development, whether these are issues of defence and foreign policies whether these are issues of social sector development, we will approach them in the spirit of constructive cooperation in the belief that India has to survive, India has to flourish. ".....We will approach them in a spirit of cooperation, in the belief that India has to survive, India has to flourish. Parties are important. We will oppose things which, we believe, are against our ideology. But, the country comes first and it is obligatory on the part of the Government also to make a new beginning."

सभापति महोदय, डा० मनमोहन सिंह के इस भाषण से अधिक और अच्छा स्थापन कोई नहीं हो सकता है। देश पहले, देश का विकास पहले, आम आदमी की स्थिति में सुधार पहले, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज बनाने का काम पहले, पार्टी की विचारधारा गौण। जब से सरकार बनी है हम भी इसी

बात पर बल देते रहे हैं सभी प्रबुद्ध नागरिक, दलों में बंटे हुए माननीय सदस्य भी। देश की आज की दशा देख कर डा० मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में 18 महीने में अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ी है इसकी एक चिंताजनक तस्वीर खींची है। उसे केवल सरकारी प्रयत्नों से, सरकार प्रयत्न करेगी, लेकिन सरकारी प्रयत्नों की सीमा है। सौ करोड़ का देश, प्राचीन देश, विविधताओं से भरा हुआ देश अगर नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़ा होगा तो सब के सहयोग से होगा, सब की मदद से होगा और मैं सब का सहयोग मांगने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, नेशनल एजेंडा के अलावा हमारा और कोई एजेंडा नहीं है, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। लोकतंत्र में चीजे छुपती भी नहीं हैं छुपाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए।(व्यवधान)...

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): मगर आप नहीं करेंगे दूसरे कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मुझ पर भरोसा रखिए कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। यह दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों ने मिल कर तैयार किया है। सर्वसम्मति से तैयार किया है। इसके मूल में एक मानस है। यह ठीक है कि सारी बातें ब्यौर से नहीं कही गईं, सब कुछ विस्तार से बताना उस समय संभव भी नहीं था। शासन उस काम को करेगा, उसमें आपकी मदद लेगा। लेकिन इसके अलावा कोई और एजेंडा है यह बात अपने मन में से निकाल दीजिए। जब तक यह सरकार है और मैं इसका प्रधान मंत्री हूँ, तब तक नेशनल एजेंडा पर ही अमल होगा और किसी एजेंडे पर नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्त में यह बात कही गई है और अनेक सदस्यों ने हमारे मित्र बिप्लव दासगुप्त ने भी इसका संकेत किया था, मैं उद्धृत करता हूँ कि,

"The Government will, therefore, strive for evolving a consensus mode of governance as far as practicable. Some of the issues on which a national consensus is most urgently called for are electoral reforms; Centre-State relations; population policy; empowerment of women by legislating 33 per cent reservation for them in all elected bodies; resolution of inter-State water disputes; environmental protection and effective institutional guarantees for the welfare of the weaker sections of society while pursuing economic reforms."

सभापति महोदय, मैं तो एक कदम आगे जाकर इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। देश ने आर्थिक सुधारों को अपनाया है, उदारीकरण की प्रक्रिया चल निकली है। कितने उतार-चढ़ावों में से यह प्रक्रिया विकसित हुई है, इस के विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। हम ने कोटा परमिट राज के दिने देखे थे, हम ने अफसरशाही के हाथों में असीमित अधिकारों का चित्र देखा था। किसी विशेष वाद के नाम पर व्यवहार-वाद को, क्या जनता के हित में है क्या नहीं है, इस की भी कभी-कभी उपेक्षा की गयी। जब हम मतवाद से बंध जाते हैं तो सीमित हो जाते हैं। सारे यूरोप में परिवर्तन की एक लहर आई है और यह लहर हम को भी स्पर्श कर रही है, हमारे राष्ट्र की नौका को भी हिलोढ़े दे रही है। नौका मजबूत होनी चाहिए, लेकिन विश्व-व्यापार की भंवर से डरकर अगर हम ने नौका को या तो किनारे पर खड़ा कर दिया या उस भंवर से अभिभूत होकर हम ने नौका में पानी भर जाने दिया तो दोनों स्थितियाँ घातक होगी। हमें नई चुनौतियों का सामना करना है, हमारे उद्योगों को, धंधों को, हमारे वैज्ञानिकों को टेक्नोलॉजी का विकास करने वाले लोगों को और उन्होंने इस दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया है, उस पर सारे देश की गर्व है। विदेशों में वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। भारत डबल्यू०टी०ओ० में शामिल हो गया है वापिस आना भी संभव नहीं है, यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन डबल्यू०टी०ओ० में रहकर कदम-कदम पर भारतीय हितों की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है और इस में हम अकेले नहीं होंगे अनेक विकासशील देश इस में हमारे सहायक होंगे, हमारे विचारों में भागीदारी होंगे। लेकिन सामना करने का तरीका अलग-थलग पड़ जाना नहीं है, मुंह चुपकर किनारे में बैठ जाना नहीं है, परिस्थिति से नजर मिलाकर और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना भी है। हम चिंतित हो चुके हैं हल्दी का पेटेंट बनाया जा रहा है, बासमती का पेटेंट लिया जा रहा है, यह दौड़ मची है। जहाँ इस का प्रतिकार आवश्यक है, जहाँ विरोध आवश्यक है हम करेंगे लेकिन हम क्यों न विध स्तर का पेटेंट बनाने में आगे बढ़ें और विश्व स्तर के पेटेंट तैयार करके हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, अपनी सर्व-प्रभुता की रक्षा करें? यह काम असंभव नहीं है और अगर असंभव है तो असंभव को भी संभव कर के दिखाना होगा। मुझे शिकायत है कि बीच में इस मामले में हिलाई से काम लिया गया। जितनी कड़ाई से, जितनी दृढ़ता से भारतीय पक्ष की ओर से बातें कही जानी चाहिए थीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, नहीं कही गयी। इसका कारण यह हो सकता है कि जो सुधारों का आरम्भ हुआ, वह एक संकट में हुआ और संकट को संभालना जरूरी

था, तात्कालिक ध्यान देना आवश्यक था, लेकिन बाद में इस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्थिति में हम परिवर्तन करेंगे।(व्यवधान).....

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): सभापति जी, मैं केवल एक निमट लेना चाहता हूँ। मैं पेटेंट पर खाली अर्थभट्ट की बात करना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Prime Minister, are you yielding?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: No, Sir.

MR CHAIRMAN: If he is not yielding, you cannot speak.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति महोदय, यह प्रतियोगिता का जमाना है। केवल प्रोडक्शन पर नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जा रही है, वह थोड़े दिनों में पीछे पड़ जाती है और नई टेक्नोलॉजी सवार हो जाती है। एक दौड़ मची है, इसमें हम पीछे नहीं रह सकते। हमें अपने उद्योगपतियों को भी तैयार करना होगा। यह ठीक है कि वे समय चाहते हैं, कितना समय चाहते हैं इसकी चर्चा हुई है लेकिन देश के भीतर भी लोगों की अभिरुचि बदल रही है और उन्हें अच्छा सामान चाहिए और केवल मुनाफे पर नजर रखकर अगर अर्थव्यवस्था चलेगी, केवल मुनाफे पर, तो वह ठीक नहीं है। मुनाफा तो होना चाहिए, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना चाहिए आर० एंड० सी० प्रोत्साहन देना जरूरी है, चुनौतियों को समझना चाहिए। आखिर हम "सार्क" के सदस्य हैं, हमें एक क्षेत्र मिला हुआ है। हम दूसरों के साथ सहयोग करें, वे भी विकसित हों, हम भी विकसित हों। हम "आसियान" में आबईवर के दर्जे पर बैठे हुए हैं। अभी कनाडा के गवर्नर जनरल आए थे, एशिया पॅसिफिक की चर्चा हुई। भारत को उससे अलग रखने का कोई कारण नहीं है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर दृढ़ता के साथ और भारतीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार काम करेगी और इस काम में सबका सहयोग चाहेगी। मैं तो कहूंगा कि आर्थिक प्रश्नों पर भी एक आम सहमति विकसित करने का प्रयास पहले भी होना चाहिए था और अभी प्रयास होगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आखिर बुनियादी मुद्दों के बारे में अगर मतभेद होगा तो वह ठीक नहीं है। किसका मतभेद हो सकता है कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़ने चाहिए? कौन विरोध कर सकता है कि हमें सोशियल स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? डा० मनमोहन सिंह ने साधनों का सवाल उठाया है, वह

सवाल अपनी जगह महत्वपूर्ण है लेकिन मैंने देखा है, उस दिन मैंने दूसरे सदन में भी उल्लेख किया था, आज मैं फिर यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि कई मदों में, कई कार्यों के लिए करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, कोई उनको खर्च करने वाला नहीं है और अगर खर्च करने वाला है तो कोई उन पर निगरानी रखने वाला नहीं है। घन है मगर कोई धनी नहीं है—धनी धोरी के अर्थ में मैं कह रहा हूं कि हमने लखनऊ में देखा, एक छोटा सा प्रयोग चल रहा है और मुझे खुशी हुई कल श्रीमती शबाना अज़मी का भाषण पढ़कर। उन्होंने अपने को मकानों के सवाल तक सीमित रखा है और उन्होंने कहा है कि यहां जब और बातें की जाती हैं तब तो तालियां बजती हैं, लेकिन सबको मकान देने की जब बात हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आई तो किसी ने ताली नहीं बजाई। शबाना जी, राजनीति का स्वप्न कुछ ऐसा ही हो गया है। वे अभी नई-नई आई हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक्स्ट्रेस कोई नहीं बोल रही है, एक्स्ट्रा बोल रही हैं। उनके मन में एक पीड़ा है और महाभारत के पंखों की आंख की तरह से उन्होंने एक ही बिन्दु पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है, मगर बिन्दु में अनगिनत संभावनाएं हैं। अगर लाखों मकान बनने शुरू हो जाते हैं तो सरकार मदद करेगी जमीन देकर। ज़मीन भी बेकार पड़ी है। शहरों के आस-पास गांवों में जिस पर जबर्दस्ती कब्जे किए जा रहे हैं, लाठी के बल पर कब्जे किए जा रहे हैं, वह जमीन सार्वजनिक जमीन है। उस पर गगनचुम्बी अटॉलिकाएं खड़ी की जा रही हैं। किसकी जमीन है, ये विवाद चल रहे हैं। जमीन सस्ते में उपलब्ध कराई जा सकती है जमीन निःशुल्क भी उपलब्ध कराई जा सकती है और अगर इसमें व्यक्तिगत पूंजी को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें उसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाए, सम्मान के साथ बुलाया जाए अफसरों के स्तर पर नहीं लोकप्रियता के स्तर पर बुलाया जाए तो लखनऊ में 5 रुपए रोज जमा करके एक व्यक्ति एक छोटा सा मकान, 10 और 15 साल की दो कैटेगरीज़ हैं, प्राप्त करने में सफल हो सकता है। यह कठिन प्रयोग है और बड़ा प्रयोग है लेकिन प्रयोग तो हमें करने पड़ेंगे और खतरा मोल लेना पड़ेगा। वह मकान केवल मकान नहीं होगा, घर होगा, वहां विद्यालय होगा, वहां चिकित्सा की सुविधाएं होंगी, वहां खेल-कूद का मैदान होगा। महोदय, लखनऊ के आस-पास हजारों एकड़ जमीन पंखी है और मैं देख रहा हूं कि वह धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है, संकुचित होती जा रही है क्योंकि भूस्वामी, भूमि के दादा लंदन के बल पर, राजनीतिक प्रभाव के आधार पर उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह सारी जमीन अलग की जानी

चाहिए, छोटी जानी चाहिए, इस जमीन को बचाया जाना चाहिए और जो लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, नाली के किनारे पड़े रहते हैं, जिनके लिए जिंदगी एक नरक बन गई है, उनके लिए आशा की कोई तो किरण कहीं न कहीं से चमकनी चाहिए। मैं मानता हूं कि यह एक छोटा सा विचार है लेकिन बड़े विचार के लिए छोटे विचार से कहीं न कहीं तो आरंभ करना पड़ेगा।

सभापित महोदय, इस बात पर बहस हो सकती है कि आप अनाज का उत्पादन दुगुना करने की बात कर रहे हैं, यह कैसे होगा? इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके लिए और उपाय अपनाने पड़ेंगे। उन सारे उपायों का इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं हो सकता था और हमने उल्लेख किया भी नहीं है लेकिन इन सभी बातों पर आगे चर्चा होगी। हम बजट अधिवेशन के लिए फिर मिलेंगे और उस समय सरकार अपना बजट लेकर आएगी। हमारा नेशनल एजेंडा एक खाका है, दिशा-निर्देश है, उसमें दोस बातें भी हैं। कौन से कानून तत्काल बनने चाहिए, इसका भी जिक्र है। हम चाहते हैं कि लोकपाल विधेयक तत्काल लाया जाए पारित किया जाए प्रधानमंत्री को शामिल करके पारित किया जाए। महिलाओं से संबंधित 33 फीसदी प्रतिनिधित्व का विधेयक तुरंत पास किया जा सकता है।

महोदय, मीडिया के बारे में सीक्रेसी का जो कानून है, उसमें संशोधन के बारे में हमने वचन दिया है और हम उस पर अमल करना चाहते हैं लेकिन हर बार यह कहकर हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है कि जो आप कह रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन जो नहीं कह रहे हैं वह क्या है? अब कोई अंतर्यामी ही, जो हम नहीं कह रहे हैं, उसे जान सकता है लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जनता के पास जाकर उससे सेवा के 5 साल मांगे हैं और इसीलिए मैंने ऐलान भी कर दिया है कि इन 5 सालों के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये 5 साल देश को बनाने के 5 साल होंगे, भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में विकसित करने के 5 साल होंगे।

श्री वसीम अहमद: और अगर 5 साल के बीच में कुछ हो गया तो?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: तब मैं समझ लूंगा कि मुझे क्या करना है।

सभापित महोदय, डॉ॰ मनमोहन सिंह जी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए थे और कुछ वे मुद्दे जो इस विषय से संबंधित नहीं हैं। उनके अलावा भी कुछ

माननीय सदस्यों ने इस बात पर टिप्पणी की है कि दल-बदल कानून में संशोधन होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। दल-बदल कानून बनाया गया था दल-बदल को रोकने के लिए मगर दल-बदल कानून दल-बदल को प्रोत्साहन दे रहा है। फर्क इतना है कि वह पुष्टकर में दल-बदल को तो निरुत्साहित करता है मगर थोक में अगर दल-बदल हो तो उसकी इजाजत भी देता है और उसका कारण यह है कि इसमें एक तिहाई को स्प्लिट मानने का जो विधान है, उससे कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। फिर जाने वाला अकेला नहीं जाता, वह एक तिहाई के लिए रुकता है, उनको भी साथ ले जाता है। पार्टियाँ टूटती हैं और स्पष्ट समीकरण नहीं बनते। समीकरण बनते हैं लेकिन उनसे राजनीति में स्थिरता नहीं आती, शुचिता तो आ ही नहीं सकती। अगर सबकी रय हो तो इस पर हम सब दलों के नेताओं से विचार-विनिमय करेंगे। दल-बदल कानून में संशोधन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इस बारे में निर्णय करके फैसला किया जा सकता है।

डा० मनमोहन सिंह ने यह भी पूछा कि अल्पसंख्यक आयोग का क्या होगा? अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग चलेगा, देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा, अपने दायित्व को निभाएगा। मन में यह संदेह पैदा ही नहीं होना चाहिए था कि अल्पसंख्यक आयोग का क्या होगा? आयोग 1993 में पहली बार बना था। 1996 में उसका पुनर्गठन हुआ था। आयोग नियमित रूप से अपना प्रतिवेदन कल्याण मंत्रालय को दे रहा है और कल्याण मंत्रालय अक्षरशः रिपोर्ट के साथ उस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के सामने रखता है।

डा० मनमोहन सिंह ने ड्राइबल एरिया कमीशन की बात भी उठाई थी, मैं उनसे सहमत हूँ। ड्राइबल एरिया कमीशन का दोबारा नियुक्तिकरण होना चाहिए। 1960 में पहला ड्राइबल एरिया कमीशन बना था। 1995 में द्वितीय ड्राइबल एरिया कमीशन नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था लेकिन अभी तक कमीशन बना नहीं। शायद जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वह यह अच्छा काम हमारे लिए छोड़ गई। तो हम इस द्वितीय ड्राइबल एरिया कमीशन का गठन करेंगे, इसके बारे में मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, खेती की चर्चा हो रही थी और उसमें अनाज के उत्पादन की बात भी हुई। अनाज के साथ और जो खेती से जुड़े हुए उत्पाद हैं, उनमें विकास की बहुत गुंजाइश है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पहल की गई है, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ अनाज के अलावा और भी खाद्य वस्तुएँ का उत्पादन हो

रहा है। उनको विदेशों में भेजा जा रहा है, उसके लिए बड़े विस्तार की जरूरत है। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम विकसित करना होगा। अभी भी किसान अगर अधिक पैदा कर लेता है तो उसे सुरक्षित रखने की जगह नहीं है। अधिक पैदा करना अभिशाप बन जाता है। देश के कई भागों में कभी आलू सड़ता है, कभी जिंजर सड़ता है। मुंह मांगे दामों पर मिर्जोराम में जिंजर बिक रहा था। मैंने सरकार से बात की कि आज जिंजर ले आइए। अदरक खाने वाले बहुत हैं। सब लोक अदरक का स्वाद न जाने मगर बहुत लोग जानने वाले हैं। हब दिल्ली सरकार पर यह भार डालना चाहते थे लेकिन उन्होंने घटा, जोड़, गुणा, भाग लगाकर देखा कि वहाँ से लाना बहुत महंगा पड़ेगा और यहाँ आते-आते उसका कोई खरीददार नहीं मिलेगा। अब लाना है टुक से। उस क्षेत्र में सड़कों की कमी है। नये उपायों की वहाँ जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ, आलू बहुत ज्यादा होता है—जितेन्द्र प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए हैं—आलू कभी बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, कोई खरीददार नहीं रहता है। नयी फसल बोनी है तो खेतों में से आलू हटाना जरूरी है। क्या करें? तो बोरो में बंद करके आलू सड़क पर रख देते हैं। जिसको चाहिए, जिसको लेना हो ले जाए। मगर लेने वाले इतने चतुर हो गये हैं कि आलू तो वहाँ छोड़ जाते हैं और खाली बोय लेकर चले जाते हैं। आलू सड़ता है, टमाटर सड़ता है, फसलें सड़ती हैं। मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूँ। आप भी इससे परिचित हैं। मगर ऐसी छोटी चीज के पीछे पड़कर इसको कराना और जब तक न हो तब तक चैन न लेना, यह हमारा निश्चय है, यह हमारा संकल्प है। बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी योजनाएँ अपना महत्व रखती हैं लेकिन छोटी-छोटी चीजें—गांव में पीने के पानी की सुविधा क्या इतनी बड़ी सुविधा है कि आजादी के पचास साल बाद भी हम गांव में पीने का पानी नहीं जुटा सकते? क्या उसके पीछे सारे राष्ट्र की चेतना शक्ति नहीं जगा सकते? कर सकते हैं। मैं करके देखना चाहता हूँ और अगर नहीं कर पाऊंगा तो हाथ जोड़कर चला जाऊंगा। मैं राज्य सभा का भी सदस्य रह चुका हूँ, मैं लोक सभा का भी सदस्य रह चुका है। लोगों ने सेवा का मौका दिया है, शासन चलाने का नहीं। यह ठीक है कि डाक्टर साहब ने राजनीति का वर्णन किया है। किस तरह से राजनीति बिगड़ गयी है, किस तरह से दूषित हो गयी है, किस तरह से उसमें नैतिकता का स्थान नहीं है—मैं उसको उद्धृत नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने यह भी कहा है कि हम सब लोग इसमें लिप्त हैं, हम सब लोग इसमें उलझे हुए हैं। और इसीलिए उन्होंने शब्द

प्रयोग किया "एक नयी बिगनिग करनी चाहिए।" एक नयी शुरूआत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नयी शुरूआत करने का वक्त आ गया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने हमारा दिशा निर्देश किया है। सरकार उस दिशा निर्देश के अनुसार कार्यक्रम तैयार करेगी, रणनीति का निर्धारण करेगी। नेशनल एजेंडा में जिन बातों का समावेश है—मैं यह दावा नहीं करता कि सारी बातें इसमें आ गयी हैं, कुछ छूटी भी होंगी, इसमें कुछ कमी भी होगी। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह से मिली-जुली सरकारें चलती हैं। केरल में मिली-जुली सरकार चल रही है, बरसों से चल रही है। दो फ्रंट हैं और वह बारी-बारी से सत्ता संभालते रहते हैं। वोटों में एक प्रतिशत की कमी से वहाँ स्थिति बदल जाती है। कॉमेड बेंबी जानते हैं। वह मेरे साथ अभी खाड़ी देशों का दौरा करने गये थे। वह मुस्लिम देश थे। मैं विदेश मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष के नाते और प्रतिपक्ष का नेता होते हुए भी मुझे पहले तो सरकार ने समिति का अध्यक्ष बनाया फिर जब मैंने स्पीकर साहब से कहा कि हम खाड़ी में बसे हुए 30 लाख भारतीयों की स्थिति देखना चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया।

हमारे प्रतिनिधि मंडल में और भी सदस्य थे और हमने देखा कि खाड़ी के देशों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं और शायद इसका कारण यह है कि वह हमारे बिल्कुल पास है। जो अत्यंत निकट होता है वह उपेक्षित हो जाता है। वहाँ हमारे लिए बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ी सद्भावना का वातावरण है, साम्प्रदायिक सौहार्द है और जो भारतीय जाते हैं वे परिश्रम करते हैं, विदेशी मुद्रा भेजते हैं। उनको पासपोर्ट लेने में या वीजा प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है उसको और सरल बनाया जाएगा, उनकी कठिनाइयाँ दूर की जाएंगी। लेकिन विदेशों में बसे हुए भारतीय न केवल अपने लिए धन कमाते हैं वह देश के लिए भी प्रचुर मात्रा में धन कमाकर सहायता के रूप में भेज सकते हैं। चीन के आर्थिक विकास में बाहर से आने वाली पूंजी ने काफी योगदान दिया था। हमने बचत को बढ़ाने की कोशिश की है, बचत को बढ़ाने का संकल्प किया है। उसके लिए ठीक उपाय, योजना अपनाई-पढ़ेगी और सही दिशा में कदम उठाना पड़ेगा।

मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा था वह यह है कि जब दल साथ-साथ आते हैं तो कई मामलों में उनके अलग-अलग घोषणा-पत्र होते हैं। केरल में एक फ्रंट में शामिल दलों के अलग घोषणा पत्र है, दूसरे फ्रंट में शामिल दलों के अलग घोषणा-पत्र हैं लेकिन बाद में इकट्ठा हो कर वे एक संयुक्त वक्तव्य निकालते हैं,

उसके ऊपर प्रतिबद्ध रहते हैं। हम तो चाहते थे कि यह नेशनल एजेंडा चुनाव के समय ही तैयार हो जाए, लेकिन हमने कोशिश की कि कम से कम सरकार का गठन होने से पहले यह एजेंडा लोगों के सामने आ जाना चाहिए और इससे पता लगना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। कल की चर्चा में मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस एजेंडा से किसी का बुनियादी मतभेद है। कुछ चीजें और होनी चाहिए थीं, कुछ चीजें ठीक ढंग से नहीं कही गई हैं, यह तो आलोचना मैं स्वीकार करता हूँ और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि हम इस संबंध में हमेशा सुधार करने के लिए तैयार रहेंगे।

सभापति महोदय, मैं डॉक्टर कर्ण सिंह का आभारी हूँ जिन्होंने कमीशन ऑन कांस्टीट्यूशन के प्रस्ताव पर हमारी कठिनाइयाँ काफी हल कर दी हैं। उस महत्वपूर्ण मगर निर्देश प्रस्ताव की, किसी हिरण्य के अण्डे से जोड़कर, यह आलोचना हुई थी, हो रही है कि हम लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदल देंगे। जहाँ तक राष्ट्रपति प्रणाली का सवाल है, संविधान इस पर विचार कर सकता है, खुले दिल से इस पर विचार होना चाहिए और डॉक्टर कर्ण सिंह तो इस मामले में बहुत पहले से प्रयत्नशील हैं, विचार गोष्ठियाँ करते रहे हैं, बुद्धिजीवियों को बुलाते रहे हैं और यह क्रम 1992 से चल रहा है, अचानक नहीं आया है। यह किसी उर्वरक मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह विचार छन-छन कर आया है। आखिर संविधान को 50 साल हो गए। हमने स्वयं संविधान में संशोधन किया है। संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि संविधान को समय के अनुसार ढालना पड़ेगा। संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, गतिशील है, ज्वलन्त है, चुनौतियों का उत्तर देने में समर्थ है।

मगर उसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर विचार होना चाहिये। कमीशन बनेगा, उसमें निष्पक्ष लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, अनुभवी सांसद होंगे, विधिवेत्ता होंगे जो कमीशन के सम्मान के उपयुक्त व्यक्ति होंगे, उनका समावेश किया जाएगा और उन्हें छूट होगी। कमीशन की सिफारिशें सरकार के पास आयेगी, सरकार उन्हें लेकर सदन में उपस्थित होगी, सदन की स्वीकृति के बिना तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता।

अब चुनाव सुधार में संशोधन हों, सभी मांग कर रहे हैं। इस बात पर भी सभी सहमत हैं कि जब हम चुनाव सुधार में संशोधन की मांग करते हैं तो फिर खर्चा कैसे कम हो, इसका विचार होना चाहिये। क्या लिस्ट सिस्टम को अपनाया जा सकता है? क्या ब्रिटेन की पद्धति 50 सालों में हमारे देश की हालत को देखते हुए सफल हुई है? क्या उसमें कभी संशोधन की जरूरत है? मैं सारे

सवाल में विस्तार से नहीं जा रहा हूँ लेकिन जहाँ तक कमीशन की आलोचना का प्रश्न है, कमीशन को बनाने का सवाल है, किसी के मन में असमंजस नहीं होना चाहिये।

आप अनुच्छेद-356 लें। कितनी बार उसका उपयोग हुआ है, कितनी बार दुरुपयोग हुआ है, हम उसके भुक्तभोगी हैं, हम शिकार हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो, राज्यपाल किस तरह से आचरण करें, किसी लोकतंत्र में जब चुनाव चल रहा हो तो उठते उत में सरकार बदली जा सकती है, यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। अदालत ने उसको ठीक किया है। मामला अदालत में जाए, अदालत अपना कर्तव्य करेगी, हम उसके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते लेकिन ऐसे प्रश्न राजनीतिक नेताओं को स्वयं तय करने की जरूरत है।

फिर ज्यूडिशियल एक्टीविज्म की चर्चा आती है। पहली बार ऐसा हुआ, जो सरकार बर्खास्त हो गई थी वह सरकार फिर आ गई। सभापति महोदय, कई समस्याएँ हैं जो केवल हमसे संबंधित नहीं हैं, सबसे संबंधित हैं। अभी मेरे साथी प्रणव मुखर्जी पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है, 356 का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, हमने हिमाचल में दिखा दिया। हिमाचल में राष्ट्रपति राज लागू करने का प्रस्ताव आया था, हमने उसे वापस कर दिया कि फिर से सरकार बनाने की कोशिश करो। अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार बन रही है इसलिए आपने कहा, कोशिश करो, यह ठीक नहीं है। कभी आपकी सरकार इस स्थिति में फंस गई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। डॉ॰ अम्बेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्टिकल-356 का इस तरह से मखौल बनाया जाएगा। "डैड लैटर" ये उनके शब्द थे। हाँ, कोई राज्य बाहरी आक्रमण का शिकार हो जाए या किसी राज्य में आंतरिक विद्रोह इस सीमा तक पहुँच जाए कि उसे बिना केन्द्रीय हस्तक्षेप के रोक नहीं जा सकता, उस समय भी सावधानी की आवश्यकता होगी। और यह देखना होगा कि लोकप्रिय सरकार रहे, विधान सभा निरन्तर काम करती रहे। सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के साथ न्याय नहीं कर सका हूँ। सचमुच में सदस्यों के धैर्य की सीमा बढ़ी है। 46 सदस्यों का चर्चा में भाग लेना एक रिकार्ड है और मैंने थोड़ी सी बातें संक्षेप में, सरल ढंग से कही हैं और मैं अन्य सदस्यों को, जिन्होंने.....

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला (हरियाणा): प्रधान-मंत्री जी, आस्ट्रेलिया व्हीट स्केम, जो एक हजार करोड़ का है और इसकी मैंने चर्चा की थी और आप यहाँ बैठे थे। मैं चाहता था कि आप इमीडिएटली इसके डायरेक्ट्स कब्जे में करवाइए, सौबी-आई० से करवाइए और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आप कृपा करके इसके बारे में हाउस को आश्वासन दिलायेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सुरजेवाला भी मुझ से मिले थे और इस संबंध में उन्होंने एक पत्र दिया है और कुछ कागज भी दिए हैं। मैं उनको दिखा रहा हूँ।

सभापति महोदय, मैं सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को हम सब लोग मिलकर धन्यवाद दें और आगे मिलकर चलेंगे, मिलकर सोचेंगे, इस तरह की कल्पना करते हुए हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Mr. Chairman, Sir... ..(Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Prime Minister to a serious news item that has appeared today that the Finance Ministry is being so bifurcated that in the ultimate analysis the whole role of the Ministry of Finance will be undermined and there is going to be lack of co-ordination and anarchy in the functioning of such a vital Ministry as the Ministry of Finance. I would like to know from him what is going on there and will the Government ensure that there is no anarchy in the functioning of the Ministry of Finance because the Finance Ministry is involved in the functioning or malfunctioning of the economy as a whole.

SHRI SANATAN BISI: Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: There cannot be a point order. What is your point of order?

SHRI SANATAN BISI: Sir, I am telling you, Sir. I am speaking on the practice and procedure...

MR. CHAIRMAN: The question is he has already said that he has not been able to reply to many questions and those questions which could not be replied to cannot be raised now.

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, this is a very, very vital point.

श्री वसीम अहमद: ये एक क्लेफिकेशन है।

MR. CHAIRMAN: No. I shall now put the amendments to vote. Amendment numbers 1 to 18 by Shri Balwant Singh Ramoowalia. He is not here, but I will put the amendments to vote.

Amendment numbers 1 to 18 were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment numbers 19 to 23 by Shri Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I have moved three amendments 19, 20 and 21, but I am not pressing except amendment number 21. I am reading out amendment number 21 for consideration of the House. ...*(Interruptions)*... I am pressing for amendment number 21. I move the amendment.

MR. CHAIRMAN: You have already moved the amendment.

SHRI JIBON ROY: Sir, I am reading out the amendment.

MR. CHAIRMAN: That has already been circulated.

Amendment numbers 19 to 20 were, by leave, withdrawn.

Amendment number 21 was negatived. Amendment numbers 22 and 23 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Amendment numbers 24 to 32 by Shri Dipankar Mukherjee.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal):*

MR. CHAIRMAN: You are not required to make a speech. It will not go on record. ...*(Interruptions)*... Amendment numbers 24 to 32 are already there. Now, I am putting them to vote.

Amendment numbers 24 to 32 were negatived.

12.00 Noon.

MR. CHAIRMAN: I shall put other amendments to vote.

Amendment Nos. 65 to 74 were, by leave, withdrawn.

Amendment Nos. 75 to 83 were, by leave, withdrawn.

Amendment Nos. 84 to 93 were negatived.

Amendment Nos. 99 to 105 were negatived.

Amendment Nos. 106 to 113 were negatived.

Amendment Nos. 114 to 117 were negatived.

Amendment No. 118 was, by leave, withdrawn.

Amendment Nos. 132 to 161 were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now we come to Amendment No. 162. Mr. Sanatan Bisi.

SHRI SANATAN BISI: Sir, I want to speak. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: No speech. Are you pressing? Your amendment has already been circulated. *(Interruptions)* Everybody has read it. *(Interruptions)* Are you pressing now?

SHRI SANATAN BISI: I am not allowed to speak. What is this? *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The amendments have been circulated. Are you pressing for it? *(Interruptions)* The time for speech is over. Are you pressing for it? *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: According to the normal procedure in running the House, as I understand, if there is a notice for amendment, the hon. Member has the right to move and has the right to speak also. *(Interruptions)*

SHRI SANATAN BISI: What is this, Sir?

MR. CHAIRMAN: Only a brief mention. *(Interruptions)* A brief mention only. *(Interruptions)*

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, my submission is that the procedure has been clearly mentioned in the practice and procedure. At page 181 of the Practice and Procedure in the Rajya Sabha, it is stated that the activities and

achievements can be reviewed but not in the Constitution. You please read this provision. ...*(Interruptions)*... Here they are going to review the Constitution. The Constitution can be reviewed only by the Supreme Court. It cannot be reviewed by the Government. ...*(Interruptions)*... Sir, you please read page 181. Sir, these are very vital points. ...*(Interruptions)*... We want to be enlightened. We want to know whether we are committing a wrong thing. We should be enlightened. I want a ruling on this. I want to correct myself. So far as review is concerned, we can review the activities of the previous Government. We cannot review the Constitution. Sir, I want a ruling on this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You should speak on your amendment. ...*(Interruptions)*... You speak only on your amendment.

SHRI SANATAN BISI: Sir, these are the areas of amendment. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: With regard to amendments, I cannot give a ruling. ...*(Interruptions)*... Your speak on the amendment and if the Government has something to say, they will say. Otherwise, nothing. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANATAN BISI: Sir, am I wrong in my submission? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one second. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, so far as amendments to the Motion are concerned, every Member is entitled to move an amendment to any part of the presidential Address. But it is for the House either to accept it or reject it. There is no question of any ruling to be given by the Chair in regard to any amendment. Once an amendment is moved, it is the property of the House. So far as reviewing of the Constitution is concerned, earlier a Committee under the Chairmanship of Sardar Swaran Singh was appointed in 1974. They reviewed the Constitution and the 42nd Amendment was brought in. Therefore, that was

also in practice. You may like it or you may not like it, in practice the Constitution has been reviewed. And now if somebody proposes to set up some organisation to review the Constitution, I do not find anything wrong in it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one second. Please sit down. The amendment of Mr. Bisi says, "At the end of the Motion the following be added":

"But regret that the Address does not mention about the causes of the mid-term elections."

That is the amendment. But, he is speaking on something else. As far as your amendment is concerned, you are not speaking on that. I am now putting you amendment to vote.

Amendment No. 162 was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now we come to 163 and 164.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Sir, the Government of Union Territories Act was introduced in 1963. By that time tripura, Manipur, Goa and Pondicherry were declared as Union Territories. Fortunately or unfortunately, Tripura, Manipur and goa have been made States. As far as Pondicherry is concerned, it is still a Union Territory. So, I move that the Presidential Address should include that Statehood will be given to Pondicherry. I am saying this because they have mentioned that Delhi will be given Statehood.

MR. CHAIRMAN: Are you pressing your amendments?

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Sir, I know if 'nose' are there, then I will be in a lot of difficulty. ...*(Interruptions)*... Sir, I only want that Pondicherry should be given Statehood. ...*(Interruptions)*... Sir, with great respect, I submit that I am not pressing my amendments for the present.

Amendment Nos. 163 and 164 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:

That the members of the Rajya Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on March 25, 1998."

The motion was adopted.

FAREWELL TO RETIRING MEMBERS

MR. CHAIRMAN: Now we are moving to next item. We are going to say a sad farewell to some of our hon. Members.

AN HON. MEMBER: Why sad, Sir?
...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: They are leaving us. ...(Interruptions)... Hon. Members, today, we bid farewell to some of our fellow Members who will be retiring this year on completion of their term. Some of the Members will be completing their term in April while others will complete their term in June-July. We have been customarily holding farewells in the current Session as some of our colleagues may not be there by the next Session. Happily some of the Members were elected to the Lok Sabha; some are likely to be returned to Rajya Sabha. Those who do not come back this time will certainly be missed. Our best wishes are with them for success in the future.

Rajya Sabha is also known as the Upper House. Rajya Sabha represents continuity and indissoluble existence. Many other democracies share the system of bicameral legislatures in which the Council of States contributes reflection while the People's House represents the varying moods and opinions of the people. Therefore, the function of this House is to provide sage advice and sometimes ask the Lower House to pause and reflect. Though there are suggestions

to abolish the hereditary Upper House in Britain, most established democracies like Canada, Australia, France, Germany, Italy and the Russian Federation have found it necessary to have an Upper House which provides necessary sage counsel.

The Rajya Sabha has its own special ambience. There is camaraderie, tolerance, grace, acceptance and an easy affability among Members on both sides of the divide. The debates are instructive and substantive, the interventions precise and purposeful, though Mr. Ahluwalia is talking now. He is intervening. Mr. Ahluwalia, can I not speak? Why are the three of you speaking when I am speaking? I thought that the debates are instructive and substantive. But, you are speaking among yourselves. ...(Interruptions)... The strengths of our parliamentary democracy are in full display in these hallowed precincts.

Together we have witnessed the varying moods in the House. Reason and emotion; grief and joy, grand rhetoric and precise submissions, sublime prose and casual speech, humour and seriousness, anger and mirth, sober deliberations and ruckus interruptions—almost the entire range of human emotions are displayed on the floor of this House.

Your membership of the House invests you with an enviable ability to influence the legislative output. Your labours, when translated into laws, have impacted the lives of millions of people. I am sure that now when you leave the House, it shall be with a sense of fulfilment at having played a part in the grand process of building our nation.

I take this opportunity to place on record my appreciation of the valuable contribution to the nation that you have made as Members of the Rajya Sabha. The proceedings of the Rajya Sabha have undoubtedly been enriched by your valuable contribution.